बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९।

भारत शासन विधान १९३५ के प्रत्यावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९ को ११-३० बजे पूर्वान्ह में माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुई :

IN HUMAN TREATMENT TOWARDS HARIJAN YOUTH.

२६३। श्री शारंधर सिंह : क्या माननीय प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) उनका ध्यान २ मई १९४६ के पटने के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित " All over caste inferiority alleged inhuman treatment towards Harijan youth " शीर्षक समाचार की ओर गया है या नहीं ?

(ख) जिन लोगों ने उस बेचारे हरिजन युवक को बुरी तरह पीटा भी और पंचायत कर उसे जुर्माना भी किया उनके साथ सरकार कौन सी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है ?

(ग) इस तरह की अपमानजनक घटना भविष्य में न घटा करे इसके लिये सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

माननीय श्री जगछाल चौधरी :

(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) जिस घटना की विज्ञप्ति उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, उसकी सच्चाई का सरकार को कोई प्रमाण नहीं है। जांच से पता चला है कि हरिजन युवक ने, जिसके बारे में समाचार पत्र ने लिखा है इस घटना को बिलकुल झूठा बताया है।

(ग) ऐसी घटना न हो, इसके लिये यथोचित प्रवन्ध (बिहार हरिजनत जानपद नियोग्यता अयनयन) विधेयक में किया गया है, जिस की स्वीकृति His Excellency the Governor-General से मिल चुकी है। फिर भी यदि ऐसी कोई घटना हुई तो सरकार उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।

गर्दनीबाग में आबकारी विभाग के क्वार्टर।

२६४। श्री रामबसान राम : क्या सार्वजनिक-निमाण मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि—

(क) गर्दनीबाग में आबकारी विभाग को दिये गये वर्त्तमान क्वार्टरों की संख्या कितनी हैं और ये किन लोगों के लिये बनाये गये हैं, अफसरों के लिये या क्लर्कों के लिये ?